उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 55 / 2021

बलरूद बेदिया बनाम् कमल बेदिया एवं झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
09.05.2023	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी बलरूद बेदिया, पिता–इन्दु बेदिया, सा०–घुटुवा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–12 / 2010–11 / 32 / 2015–16 कमल बेदिया बनाम बलरूद बेदिया में दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–घुटुवा, थाना–पतरातू के खाता नं०–53 प्लॉट सं०–341, रकवा–0.34 ए० भूमि से संबंधित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद न्यायालय में एक भी बार उपस्थित नही हुए। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–घुटुवा, थाना–पतरातू के खाता नं०–53 प्लॉट सं०–341, रकवा–0.34 ए० भूमि सर्वे खतियान में रामधन वेदेआ वो बीशनाथ वेदेआ पेशरान नन्दवा वेदेआ कौम वेदेआ के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि खरीदगी केवाला संख्या–3524, दिनांक–09.07.1963 के आधार पर दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में भी भू–वापसी वाद संख्या–60 / 88 वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में दायर किया गया था, जो अस्वीकृत हो गया। उनके द्वारा वाद के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या–61 / 95 दायर किया गया था जिसे भी अस्वीकृत किया गया था। उनके द्वारा रिविजन हेतु उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर किया गया जिसे भी अस्वीकृत किया गया। उनका आगे कहना है कि मौजा–घुटुवा, थाना–पतरातू के खाता नं०–53 प्लॉट सं०–341, रकवा–1.53 ए० भूमि शेख सहाबुद्दीन से केवाला संख्या–3524, दिनांक–09.07.1963 से अपीलार्थी के पिता इन्दु बेदिया द्वारा भूमि क्रय की गई जिसकी जमाबंदी पंजी–II के भॉल्युम सं०–23 / II पर इन्दु बेदिया जमाबंदी कायम है एवं रसीद 2015–16 तक निर्गत है। उन्होने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,	

रामगढ़ के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। ओर दोनो पक्ष अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–घुटुवा, थाना–पतरातू के खाता नं०–53 प्लॉट सं०–341, रकवा–0.34 ए० भूमि सर्वे खतियान में रामधन वेदेआ वो बीशनाथ वेदेआ पेशरान नन्दवा वेदेआ कौम वेदेआ साकिन देह वहिस्सा बराबर के नाम से दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ सं०–65/I पर प्रथम पक्ष के मुरली बेदिया वगै० पिता–भीखमंग वेदिया रामधन बेदिया वगै० के नाम से रकवा–18.50 ए० भूमि का जमाबंदी कायम है, वर्ष 15–16 तक रसीद निर्गत है। विवादित भूमि का वर्त्तमान स्वरूप चहारदिवारी सह खेती कार्य है। आवेदक 54 वर्ष से बेदखल है। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाता की है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष द्वारा केवाला संख्या–3524, दिनांक–09.07.1963 द्वारा खरीदगी हासिल है, जिसका जमाबंदी पंजी–II के भॉल्युम सं०–23/II पर द्वितीय पक्ष इन्दू बेदिया पिता सालीख वेदिया के नाम से रकवा–1.93 ए० भूमि की जमाबंदी कायम है। वर्ष 15–16 तक रसीद निर्गत है। संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–60/88 में यह कहते हुए अस्वीकृत किया गया कि दोनों पक्ष आदिवासी है। उसी प्रकार अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या–10/93 में कहा गया कि दोनो पक्ष आदिवासी है, और निम्न न्यायालय में माना है कि दो आदिवासियों के बीच छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46–4(ए) का प्रावधान लागु नहीं होता है। इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया। फिर न्यायालय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग ने रिविजन वाद संख्या–61/95 में आदेश पारित किया गया कि, "opposite party produced the certified copy of the sale deed dated 8.7.1993 and fifiten rent receipts from 1963-64 to 1984-85. Petitioner accepted the possession of the O.P. over the said land. The story of the petitioner regarding dispossession also appears fictitious as ob served by the court below that the petitioner could not express the manner by which he was dispossessed. Section-46 and 46 (4a) deals with restoration of Tribal occupancy raiyat from a non-tribal. Here the case is be tween too members of scheduled tribe and this case does not come under the purview of law invoked by the petitioner. In the present context of the case sec. 71 is also not applicable. Hance only the Civil Court can decide the right & title over the land indispute as it is not a matter of Restoration to a Tribal from a non tribal.," ऐसी परिस्थिति में यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी संख्या–12/2010–11/32/2015–16 कमल बेदिया बनाम बलरूद बेदिया में दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए संबंधित पक्ष को निदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय से जब तक अपना स्वत्व निर्धारण नही करा लेते है तब तक उक्त वाद में किसी तरह प्रभावशाली आदेश पारित करना उचित प्रतीत नही होता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
09.5.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
09.5.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.06.06 14:20:43 +05:30
Location: 192.168.0.215